N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0205   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 14/08/2025 16:10 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	409
5	भा दं सं 1860	420
6	भा दं सं 1860	467
7	भा दं सं 1860	468
8	भा दं सं 1860	471
9	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 27/06/2009   Date To (दिनांक तक): 20/06/2019

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 09:00 बजे   Time To (समय तक): 19:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/08/2025   Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 14/08/2025 16:10:33 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 50 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): KARAYALYA GRAM SEVA SAHKARI SAMATI LIMITED MANDAL, GRAM MANDAL JILA PALI

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): NARAYAN

(b) Father's Name (पिता का नाम): MAGARAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1973   (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):   Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MANDAL, RANI, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MANDAL, RANI, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):   Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BABULAL		पिता:TULSARAM JI	1. GRAM MANDAN,RANI,PALI,RAJASTHA

2	ARJUN SINGH		पिता:BAGHSINGH	1. GRAM MANDAL,RANI,PALI,RAJASTHA
3	CHHATAR SINGH		पिता:DALPAT SINGH	1. GRAM BALRAI,RANI,PALI,RAJASTHAN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 25,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, प्राथमिक जॉच संख्या 61/2023 के सत्यापन से पाया गया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल में राज्य सरकार की तत्कालीन क्रेफी कार्ड योजना के तहत मिनी बैंक, का संचालन प्रारम्भ किया गया। दिनांक 01.09.1996 को ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल के चयन मण्डल द्वारा श्री बाबुलाल को सहायक-व्यवस्थापक के पद पर प्रथम नियुक्ति प्रदान की गई। उक्त मिनी बैंक में परिवादी श्री नारायणलाल , श्रीमती सुमटी पत्नी मगाराम एवं श्रीमती सीमा पत्नी नारायणलाल का एक सामलाती बचत खाता , खाता संख्या 459 एवं श्री नारायणलाल एवं मगाराम का सामलाती बचत खाता संख्या 416 तथा श्री लालाराम का एक बचत खाता 976 खोला गया था। दिनांक 20.12.2006 को ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल के नव नियुक्ति संचालक मण्डल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक सदस्यागणों द्वारा समिति की बैठक का आयोजन कर सर्व सम्मति से प्रस्ताव संख्या 02 पारित किया गया कि "माण्डल मिनी सहकारी बैंक में समस्त लेन-देनों की जवाबदारी एवं वितीय गबन-घोटाले की जिम्मेदारी बैंक में कार्यरत सहायक व्यवस्थापक श्री बाबुलाल की रहेगी।" जिसकी पालना में श्री बाबुलाल सहायक व्यवस्थापक द्वारा मिनी सहकारी बैंक माण्डल के बचत खातों , केष बुक एवं समस्त रेकर्ड का संधारण की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे । परिवादी नारायणलाल द्वारा खाता संख्या क्रमंष 416 एवं 459 में जमा व निकासी में विरोधाभाष होनें व खाते से राषि का गबन एवं कुटरचना होने तथा उसके भाई स्व0 लालाराम के नाम जारी एफडीआर में कुटरचना होने पर माननीय जे एम कोर्ट पाली के जरिये धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस थाना गुडा एन्दाला में आपराधिक प्रकरण संख्या 082/2022 धारा 420,409,467,468,471,109 भादस के तहत दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना गुडा एन्दला से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 931 दिनांक 31.05.2024 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने अनुसंधान में मामला एफआर अदम वकू झूठ का मानते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पाली के ओदष क्रमांक अषा/एसआर/2022/12208-09 दिनांक 28.12.2022 के जरिये नतीजा एफआर अदम वकू झूठ में प्राप्त किया एवं एफआर न. 69 दिनांक 28.12.2023 कता कर दी , इसी दरम्यान नारायणलाल द्वारा परिवाद पेष करने पर पुलिस अधीक्षक पाली के आदेष क्रमांक अषा / परि / पार्ट-ब / 2023/1275 दिनांक 03.03.2023 प्राप्त होनें पर तत्कालिन थानाधिकारी द्वारा प्रकरण पुनः रिओपन कर पूर्व के अनुसंधान को ही सही माना गया । परिवादी नारायणलाल अनुसंधान से संतुष्ट नहीं होनें से पुनः श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस रेंज पाली के समक्ष दिनांक 13.12.2023 को परिवाद पेष किया। जिस पर परिवाद में अंकित तथ्यों पर अनुसंधान हेतु थानाधिकारी द्वारा परिवादी नारायणलाल से सम्पर्क कर प्रकरण में मतलुबा खाता से विड्रोल एवं अन्य दसतावेज पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निषान मिलान हेतु हस्ताक्षर, अंगुष्ठ निषान देने की हिदायत की गई है तथा परिवादी के भाई स्व0 लालाराम के एफ.डी. के संबंध में विवाद रहीत हस्ताक्षर देने पर विधिनुसार नमूना हस्ताक्षर लिये जाकर एफएसएल जॉच हेतु भिजवाये जायेगे, थानाधिकारी द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया । इसी दरम्यान परिवादी नारायणलाल द्वारा खाता संख्या क्रमंष 416 एवं 459 में जमा व निकासी में विरोधाभाष होनें व खाते से राषि का गबन एवं कुटरचना होने तथा उसके भाई स्व0 लालाराम के नाम जारी एफडीआर

में कुटरचना के संबंध में दी सैण्डल को-ऑपरेटिव बैंक में भी षिकायते की गई। जिस पर दि पाली को-ऑपरेटिव बैंक लि0 प्रधान कार्यालय पाली द्वारा श्री श्रवणसिह, सहायक अधिषाषी अधिकारी /अति0 प्रभार दी पाली को-ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा रानी को जॉच अधिकारी नियुक्ति कर विभागीय जॉच करवाई गई। श्री श्रवणसिह जॉच अधिकारी दि पाली सैण्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक लि0 द्वारा अपनी विभागीय जॉच रिपोर्ट 01.09.2023 में अंकित किया कि:- बचत खाता 459 में मिनी बैंक के रिकोर्ड की जॉच 31.03.2004 से , केष बुक , जमा वाउचर एवं विड्रोल उपलब्ध करवाये गये उपलब्ध वाउचरों व विड्रोलों की जॉच की गई जिसमें जॉच से पाया कि खाता नम्बर 459 श्रीमती सुमटी पत्नी मगाराम , सीमा पत्नी नारायणलाल एवं नारायणलाल पुत्र मगाराम के संयुक्त रूप से खुला हुआ है एवं राषि निकालने का अधिकार किसी भी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर से राषि निकालने का अधिकार दिया हुआ है। इस खाते में कुल जमा राषि 27,10,461 रूपये जमा हुआ एवं खाते से निकासी राषि 43,89,802 रूपये निकाली गई है। इस प्रकार मिनी बैंक की खाता बही अनुसार 16,79,341 रूपयों का ऑवर ड्राफट हुआ है। परन्तु समिति की पूर्ण रिकॉर्ड से खाता न0 459 की जॉच करने पर पाया गया कि दिनांक 16.07.2014 को रोकड पृष्ट संख्या 14 पर उक्त रोकड बही में जमा व्यवस्थापक बाबुलाल द्वारा ऑवर ड्राफ्ट रसीद न0 64000 कुल राषि 8,00,000 रूपये जमा करवा दिये है। इस प्रकार ऑवर ड्राफट राषि 16,79,341 - 8,00,000 रूपये 8,79,341 रूपये शेष रहती है। जो खाते से वसूली योग्य है। इसी प्रकार खाता संख्या 416 जो मिनी बैंक में मगाराम पुत्र टुआरामजी व नारायणलाल पुत्र मगाजी घाची के नाम से संयुक्त रूप से खुला हुआ हैं, उक्त खाते में कोई भी दोनांे में से किसी भी एक को खाते में राषि निकालने व जमा करवाने के लिये अधिकृत कर रखा है। मिनी बैंक के रिकॉर्ड की जॉच 14.07.2003 से केष बुक , जमा रूपये एवं विड्रोल उपलब्ध करवाये गये उपलब्ध वाउचरों व विड्रोलों की जॉच की गई अपनी जॉच में अंकित किया कि खात न. 416 में कुल जमा राषि 1,29,958 रूपये जमा हुए एवं खाते में नामे निकासी 3,31,000 रूपये निकासी हुई है। इसके कारण 3,31,000 -1,29,958 रूपये त्र 2,01,042 रूपये का ऑवर ड्राफट हुआ है। जो वसूली योग्य है। दिनांक 04.06.2007 खाता न0 416 में रूपये 80,000 जमा बताया गया है , परन्तु रोकड बही व खाता बही की जांच करने पर यह राषि 459 में जमा है, भूलवष 416 में जमा कर दी गई थी, जिसकी समायोजन पृविष्टी की गई। शिकायत कर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई पास बुक खाता नम्बर 459 में दिनांक 14.11.2009 को 70,000 रूपये जमा किये गये है एवं दिनांक 20.11.2019 को 50,000 रूपये वापस निकाली गई है। 70,000-50,000 20,000 रूपये वसूली योग्य हैं जो बाबुलाल व्यवस्थापक से वसूली योग्य है। एफडीआर के संबध में षिकायत कर्ता द्वारा बताया गया कि मेरे भाई लालाराम पुत्र मगाराम के नाम से राषि 3,00,000 रूपये की एफडीआर 13 माह के लिये करवायी गई थी। वक्त जॉच समिति व्यवस्थापक बाबुलाल द्वारा स्टाम्प 500 रूपये टाईप कर नोटरी से तस्दीक करवार दिया कि लालाराम पुत्र मगाराम घांची, निवासी माण्डल द्वारा दिनांक 09.04.2012 को समिति में पॉच बजे बाद शाम को एफडीआर हेतु आवेदन किया एवं कर्मचारी से बात करके दूसरे दिन सुबह 10 बजे एफ.डी.आर. प्रमाण पत्र बनाने का बोला परन्तु जमाकर्ता के आकस्मिक रूपये की जरूरत होनें के कारण बैंक में दिनांक 10.04.2012 को सुबह उपस्थित होकर एफडीआर नहीं बनायी जाये तथा मुझे रूपयों की आवष्यकता है जो मुझे मेरे 3,00,000 रूपये वापस दिये जाये, जिससे मौखिक याददाष्त के लिये 3,00,000 रूपये का विड्रोल दे रहा हॅू। वक्त जरूरत न्यायालय आदि में उक्त विड्रोल काम आवे। जॉच अधिकारी ने यह भी अंकित किया कि यदि लालाराम ने एफडीआर करवायी जाती तो वह 13 माह या साल , दो साल रूपये वापस प्राप्त करने बैंक में आता जबकी उसकी मृत्यु दिनांक 02.05.2015 को हुई है। एफ.डी.आर. नहीं करवाने के कारण लालाराम राषि बैंक में लेने नहीं आया। यह आरोप बिना एफडीआर प्रमाण पत्र के कारण सत्यता से परे है। उक्त मामले में परिवादी श्री नारायणलाल द्वारा पुनः कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर स्तर पर भी षिकायत की गई, जहा से डॉ. जय प्रकाष यादव, सहायक रजिस्ट्रार (उधोग) , प्रधान कार्यालय जयपुर को जॉच अधिकारी नियुक्त किये जाने पर उनके द्वारा जॉच कर दिनांक 27.09.2023 को अपनी जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया कि- खाता संख्या 459- मिनी बैंक के बचत खाता 459 की लेजर से परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, समिति की रोकड बही, जमा वाउचर, धन वापसी वाउचर से जांच करने पर पाया गया है कि खाता संख्या 459 श्रीमती सुमटी देवी पत्नी मंगारा सीमा पत्नी नारायण लाल एवं श्री नारायण पुत्र मंगाराम का संयुक्त खाता है इम प्रत्येक मदस्य को खाते को संचालित करने का अधिकार दिया गया है। समिति के मिनी बैंक में संधारित श्रीमती सुमटी देवी, श्री नारायण की खाताबही में किये गये दिनांक 31.03.2004 से दिनांक 20.06.2013 तक के लेन-देन में एकरूपता नहीं है अर्थात समिति में रोकड बही के अनुसार खाता का संधारण अत्यधिक लापस्वाही पूर्ण तरीके से किया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत खाता बही, पासबुक की फोटो प्रतियों से खातों की शेष की स्थिति जानना मुश्किल है कोई प्रविष्टि रोकड बही में है तो वह खाता बही में नहीं है। कोई प्रविष्टि पास बुक में है लेकिन समिति की खाता बही में नहीं है। खाता बही में दिनांक 31.03.2007 को रोकड शेष 80801 रूपये है जो आगामी लेजर पृष्ठ संख्या 116/5 पर ले जाया गया। वहां दिनांक 13.09.2012 दो प्रारंभिक शेष 80800 रूपये लिखा गया है। इस पृष्ठ पर दिनांक 24.02.2013 को 5,80,800 का शेष दर्शाया है। इन दो खाता बहियों के बीच तारतम्यता में 5 वर्ष की खाता बही उपलब्ध नही है। एक अन्य खाता बही का संधारण 221 पृष्ठ पर किया गया है इसमें पूर्व की खाता बही के रोकड शेष का मिलान नहीं होता है। इस प्रकार समिति के. मिनी बैंक पर रोकड बही की खतौनी नियमित रूप से नही की गई है, इन खाता बहियों में

बचत खाते पर ब्याज की प्रविष्टियां भी पूर्ण अवधि में नही की गई है। अतः समिति की खाता बही एवं मिनी बैंक की खाता बही के परस्पर लेन-देन भी संदेहयुक्त है। मिनी बैंक में ब्याज जमा नहीं करना भी समिति की लेखांकन व्यवस्थां पर प्रश्नचिन्ह लगता है। खाताबही संदेहपूर्ण होने के कारण वक्त जांच मिनी बैंक की रोकड बही से एक पृथक पेज पर समस्त प्रविष्टियों की खतौनी करते हुए एक खाता तैयार किया गया है ताकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणकों, तथ्यों आदि के आधार पर आरोपित द्वारा की गई गड़बड़ी की स्पष्ट जांच की जा सके। उक्त खाता बही में आक्षेप पाये गये है कि दिनांक 09.03.2006 में 37402 रूपये की वापसी दिखाई गई है उसी तिथि से पर्याप्त रोकड शेष नही होने के बावजूद भुगतान दिखाया गया है। इस हेतु जमा पक्ष में व्यवस्थापक श्री बाबूलाल के नाम से 27402 रूपये की अमानत जमा दिखाया गया है लेकिन उसे भी जोड में शामिल नहीं किया गया है। अतः न तो जमा एवं ना ही भुगतान प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण अवधि में शेष में ऋणात्मक अंकन वाली दिनांकों में खाते में कम होने एवं नहीं होने पर भुगतान किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। मिनी बैंक के धन का दुरूपयोग है एवं अमानत में खयानत का मामला प्रतीत होता है। उक्त खाते की संपूर्ण अवधि में कुल जमा राशि 2710461 रू. तथा नामे राषि (निकासी) 4389802 रू. है अतः खाते में 1679341 रु. का अधिविकर्श (ऑवरड्राफ्ट) है। यह नियमानुसार राजकीय धन का दुरूपयोग है और खाताधारी को भुगतान गई अधिक राशि वसूली योग्य है। यह राशि श्री. अर्जुन सिंह व्यवस्थाक, श्री छतरसिंह व्यवस्थापक एवं मिनी बैंक प्रभारी श्री बाबूलाल सहायक व्यवस्थाक सभी की जिम्मेदारी है एवं आधिक्य राशि वसूली योग्य है। इस खाते के विषय में परिवादी द्वारा शिकायत में अवगत कराया है कि श्रीमती सुमटी देवी पत्नी मगाराम के अनपढ़ होने के चलते निकासी अंगूठा निशानी से की गई है जो निकासी की गई है उसमें अधिकांश निकासी संदेहस्पद बताई गई है जिनकी जांच एफ.एस.एल. करावाया जाना अपेक्षित है। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई पासबुक प्रति में खाता संख्या 459 में दिनांक 14.11.2009 को 70,000 रू. जमा किये दिनांक 20.11.2019 को 50,000 रू. निकासी की गई। इस प्रकार अंतर राशि 20,000 रू. व्यवस्थापक श्री बाबूलाल से ब्याज सहित वसूली योग्य है। खाता संख्या 459 संबंध की शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा जमा रसीदे संलग्न की है जो वर्ष 2007 से 2012 तक की अवधि की है उनको जांच के दौरान रोकड बही में जमा पाया गया है। बचत खाता संख्या 416 - यह खाता श्री मगाराम पुत्र दुआजी, नारायण बाल पुत्र श्री मंगाराम के नाम से खुला है जिसको भी प्रत्येक व्यक्ति संचालित करने लिए अधिकृत बताया गया है मिनी बैंक की खाता बही एवं रोकड की जाच करने पर पाया गया है कि यह खाता दिनांक 14.07.2003 से संचालित है। इस खाते की लेजर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति का पूर्णतः मिलान नही होता है। अर्थात मिनी बैंक की रोकड बही के आधार पर खाता बही का संधारण समुचित रूप से नहीं किया गया है, इसमें भी लापरवाही पाई गई है। रोकड बही खाता बही एवं परिवादी के पासबुक का परस्पर पूर्णतः मिलान नही होता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक स्थिति की जानकारी एवं जांच हेतु खाता संख्या 416 में भी मिनी बैंकों की रोकड बही से वक्त जांच पृथक पृष्ठ पर खातों की समस्त प्रविष्टियों को समेकित रूप से लिखकर एक खाते के रूप में दर्शाया गया । खाता संख्या 416 में कुल जमा राशि 129958 रू० जमा हुए है एवं 331000 रू0 की इस खाते से निकासी (विड्रावल) किया गया है। इस प्रकार 201042 रू. का अधिविकर्ष (ऑवरड्राफ्ट) हुआ जो नियमानुसार व्यवस्थापक श्री अर्जुनसिंह व्यवस्थापक, श्री छतरसिंह व्यवस्थापक एवं श्री बाबूलाल, सहायक व्यवस्थापक एवं प्रभारी मिनी बैंक से वसूली योग्य है। दिनांक 04.06.2009 को खाता संख्या 416 खाते की खाता बही शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत फोटो में दर्शाये गये 80,000 रू. जमा बताया गया है परन्तु रोकड बही व खाता बही की जांच पर पाया गया कि यह राशि इस खाते की 459 खाता संख्या में जमा की गई है यह भी गंभीर वित्तीय अनियमितता है। एफ.डी.आर.- शिकायतकर्ता द्वारा अवगत करवाया गया है कि उसके भाई लालाराम पुत्र मगाराम के नाम से दिनांक 09.04.2012 को 3.00 लाख रूपये की मिनी बैंक माण्डल में एफडीआर करवाई गई थी। इस एफडीआर का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। समिति के मिनी बैंक में जांच पर पाया गया कि 3.00 लाख रूपये मिनी बैंक समिति में प्राप्त करना रसीद से प्रमाणित होता लेकिन मिनी बैंक द्वारा बॉण्ड जारी नही किया गया था। व्यवस्थापक द्वारा दिनांक 10.04.2012 को वापस खातेदार लालाराम को उक्त रकम को वापरत भुगतान किये जाने की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की है जिस पर लालाराम के हस्ताक्षर है लेकिन शिकायत कर्ता द्वारा हस्ताक्षरों को फर्जी एवं कूटरचित बताया गया है। उल्लेखनीय है कि खातेदार लालाराम की दिनांक 02.05.2015 को मृत्यु हो चुकी है। अतः हस्ताक्षर संबंधी सत्यता को एफएसएल जांच से ही परीक्षण करवाया जा सकता है। एक दिन जमा करना दूसरे दिन उसकी वापसी करना संदेहयुक्त है, इसके लिये भी जिम्मेदारी निश्चित की जानी अपेक्षित है। प्रश्न यह भी है कि अवधि पूर्ण होने पर लालाराम एफ. डी.आर. का भुगतान लेने न तो मिनी बैंक आया ना ही उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन किया। अतः यह संदेहपूर्ण है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोपो में मिनी बैंक की रोकड बही, खाताबही एवं खातेदार की पासबुक में मेल नहीं खाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जांच के दौरान पाया गया है कि श्रीमती सुमटी देवी के द्वारा किये गये विड्राल में समिति द्वारा प्राप्त फार्म पर अंगूठा निशानी अंकित है। शिकायतकर्ता ने अरोप लगाया कि उक्त अंगूठा निशानी फर्जी एवं कूटरचित है। अंगूठा निशानी की प्रामाणिकता की जाँच जाँचकर्ता, अधिकारी के स्तर पर संभव नहीं है। यह जॉच एफ.एस.एल. से करवायी जानी अपेक्षित है। खाता संख्या 459 एवं 416 में वित्तीय लेन-देन में अनियमितता यथा खाता बही, रोकड बही एवं पासबुक में की गई प्रविष्टियों का मिलान नहीं होने के

कारण समिति व्यवस्थापक / सहायक व्यवस्थापक की लापरवाही प्रतीत होती है। प्राथमिक जॉच में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी श्री बाबुलाल द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर मिनी सहकारी बैंक माण्डल के खाता संख्या 416 एवं 459 में जानबुझकर क्रेडीट - डेबीट का इन्द्राज नहीं कर उक्त बचत खातों में न्यून्तम बैंलेंस नहीं होनें के बावजूद राषि का भूगतान दर्षाकर अधिविकर्ष (ऑवर ड्राफ्ट) किया गया, जिससे उक्त खाते में इन्द्राज अपूर्ण होनें से अधिविकर्ष (ऑवर ड्राफ्ट) की स्वयं के अलावा किसी अन्य को जानकारी प्राप्त नहीं हो तथा बैंक की अमुल्य निधी (राजकोष) का दुरूपयोग किया गया । जबकि मिनी बैंक में ऑवर ड्राफ्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है, उक्त खाते में किये गये ऑवर ड्राफ्ट की भरपाई (पूर्ति) हेतु श्री बाबुलाल व्यवस्थापक द्वारा दिनांक 16.07.2014 को रसीद संख्या 64000 के जरिये राषि 8,00,000 रूपये अधिविकर्ष (ऑवर ड्राफ्ट) पेटे खाता संख्या 459 में दिनांक 16.07.2014 को रोकड पृष्ठ संख्या 14 पर स्वयं द्वारा जमा करवाई गई। जिसका खुलासा जॉच अधिकारी श्रवणसिंह द्वारा अपनी जॉच में भी किया गया है। यहा यह उल्लेखनीय हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विष्वनाथ बनाम जम्मू एवं कष्मीर राज्य, ए.आई.आर.1983, एस.सी. 174 में स्पष्ट विधि व्यवस्था दी कि " धनराशि का अस्थायी गबन भी गबन की श्रेणी में आता है। " इस प्रकार श्री बाबुलाल व्यवस्थापक का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टिया धारा 409 भादस का कारीत करना प्रथम दृष्टिया पाया जाता है। इसी प्रकार परिवादी श्री नारायणलाल द्वारा अपनी माता श्रीमती सुमटीदेवी के खातो से विड्रॉल क्रमष 16.09.2004 को 8000 रूपये , दिनंाक 07.12.2004 को 17,000 रूपये व 09.03.2006 को 27,402 दिनांक 25.05.2007 को 1,00,000 रूपये दिनांक 27.08.2009 को 50,000 रूपये , दिनांक 21.01.2010 को 2,50,000 रूपये दिनांक 24.09.2012 को 5,00,000 लाख रूपये , दिनांक 07.11.2012 को 1,00,000 रूपये दिनांक 24.12.2012 को 12,02400 रूपये , दिनांक 24.02.2013 को 3,00,000 रूपये व दिनांक 27.11.2014 को 2,00,000 रूपये बैंक से नहीं निकालना बताया है , जबकि मिनी बैंक केशबुक एवं विड्रॉल फार्म अनुसार उक्त राशि निकासी (विड्रोल) होना जाहीर होता है, उक्त राशि बाबुलाल सहायक व्यवस्थापक द्वारा फर्जी अंगुष्ठ निशान कर निकाली गई थी अथवा परिवादी की माता सुमटी देवी स्वयं द्वारा निकाली गई तथ्यों की सत्यता एफएसएल करवाया जाने पर ही ज्ञात की जा सकती है। डॉ0 जयप्रकाश यादव, सहायक रजिस्ट्रार, (उधोग) प्रधान कार्यालय जयपुर द्वारा की गई विभागीय जॉच रिपोर्ट में श्री बाबूलाल सहायक व्यवस्थापक के अलावा श्री अर्जुनसिंह सेवानिवृत व्यवस्थापक एवं श्री छतरसिंह सेवानिवृत व्यवस्थापक की भी जिम्मेदारी तय करते हुए समिति को हुई हानि के लिए (जम्मेदार माना) जिम्मेदारी तय की गई, अत श्री अर्जुनसिंह सेवानिवृत व्यवस्थापक एवं श्री छतरसिंह सेवानिवृत अतिरिक्त व्यवस्थापक प्रथम दृष्टिया संलिप्त पाये जाते है। इस प्रकार आरोपीगण (1)श्री बाबुलाल व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल जिला पाली का कृत्य अपराध धारा 13 (1) (सी) , (डी) , 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादस एवं (2) श्री अर्जुनसिह तत्कालीन व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल जिला पाली हाल सेवानिवृत एवं (3) श्री छतरसिंह तत्कालीन व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल जिला पाली हाल-सेवानिवृत, का कृत्य अपराध धारा 120बी भा.द.स. प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया जाता है। अतः आरोपीगण (1)श्री बाबुलाल व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल जिला पाली के विरूद्ध अपराध धारा 13 (1) (सी) , (डी) , 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादस एवं (2) श्री अर्जुनसिह तत्कालीन व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल जिला पाली हाल सेवानिवृत एवं (3) श्री छतरसिंह तत्कालीन व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल जिला पाली हाल-सेवानिवृत, के विरूद्ध अपराध धारा 120बी भा.द.स. में बीना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय (धर्मेन्द्र डूकिया) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मेन्द्र डूकिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपी (1) श्री बाबुलाल पुत्र तुलसाराम जी जाति देवासी उम्र 50 साल निवासी ग्राम माण्डल तहसील रानी जिला पाली हाल सहायक व्यवस्थापक, मिनी सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल तहसील रानी जिला पाली के विरूद्ध अपराध धारा 13 (1) (सी) , (डी) , 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादस एवं आरोपीगण (2) श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री बाघसिंह उम्र 62 साल जाति राजपुराहित निवासी ग्राम माण्डल तहसील रानी जिला पाली तत्कालिन व्यवास्थापक मिनी सहकारी बैंक ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल तहसील रानी जिला पाली। हाल सेवानिवृत एवं (3) श्री छतरसिंह पुत्र श्री दलपतसिंह उम्र 61 साल जाति राजपुत निवासी ग्राम बालराई तहसील रानी जिला पाली, तत्कालिन व्यवास्थापक मिनी सहकारी बैंक ग्राम सेवा सहकारी समिति माण्डल तहसील रानी जिला पाली। हाल सेवानिवृत के विरूद्ध अपराध धारा 120बी भा.द.स. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेश श्रीमाली, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 281 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1166-70 दिनांक 14.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1

विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2-अधीशाषी अधिकारी,दी पाली सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यलय पाली मारवाड, जिला पाली 3-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली प्रथम । 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि.,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (प्राथिमिक जाँच संख्या 61/23)अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHESH SRIMALI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	25/06/1976				
2	Male	15/07/1963				
3	Male	20/06/1960				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)